उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

दुरभाष सं0:– 06432-232680 फैक्स– 06432-232967 ई–मेलः– dcdeoghar@gmail.com

आदेश

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर द्वारा दिनांक–05.07.2020 को प्रदत्त सूचना के अनुसार देवघर शहरी क्षेत्र के लोकनाथ ठाकुर लेन में कोरोना वायरस COVID-19 का एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया है, जिसे सरकार द्वारा जारी दिशानिदेश के आलोक में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केन्द्र बिन्दु (EPI Centre) चिन्हित करते हुए पूर्णतया सील कर दिया गया है।

इस प्रकार देवघर शहरी क्षेत्र के लोकनाथ ठाकुर लेन अन्तर्गत कोरोना संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केन्द्र बिन्दु (EPI Centre) मानते हुए Containment Zone घोषित किया जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर – पी०सी०सी० रोड लोकनाथ ठाकुर लेन।
दक्षिण – नरसिंग टॉकिज रोड। (एस०बी० राय रोड)
पूरब – संक्रमित एवं अन्य का मकान।
पश्चिम – अमृत स्वीट्स एवं अन्य स्थानीय निवासी का मकान।

देवघर शहरी क्षेत्र अन्तर्गत लोकनाथ ठाकुर लेन के 07 किमी परिधि तक का क्षेत्र बफर जोन घोषित किया जाता है, जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :–

उत्तर – बलसरा मोड़
दक्षिण – रोहिणी
पूरब – कुण्डा मोड
पश्चिम – जसीडीह चकाई मोड़।

मै नैन्सी सहाय,भा०प्र०से० उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, देवघर–सह– अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन, प्राधिकार देवघर द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 की उपधारा B एवं C के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–40–3/2020–DM-I(A), दिनांक–01.05.2020 द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आलोक में उपरोक्त अति संवेदनशील एवं प्रभावित क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के प्रवेश, उसके भीतर उसके संचरण और उसके प्रस्थान तथा वाहनों (जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एवं वाहनों को छोड़कर) के आवागमन को नियंत्रित एवं निबंधित करती हूँ। उक्त क्षेत्र में किसी के भी द्वारा इसका उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
–सह–
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, देवघर।

ज्ञापांक– **401**/आ०प्र०, देवघर, दिनांक–**05.जुलाई, 2020** ई०।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, देवघर/उप विकास आयुक्त, देवघर/अपर समाहर्त्ता, देवघर/अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर/अंचलाधिकारी, देवघर/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
–सह–
अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार, देवघर।

\\10.92.72.30\dc confidential\health\Corona\Order.docx